

## कार्यालय,

### प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### अन्तर्गत प्रदेश समन्वयक।

संख्या- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/8786

सम्बद्धता दिनांक 20/09/2022

#### कार्यालय आग:

अधिसूचित भारतीय राजस्व विभाग द्वारा, नई दिल्ली परमेश्वरी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शीतकाल 2022-23 हेतु शिक्षण संस्थाओं के अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 अन्तर्गत से सम्बद्धता हेतु विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को प्रो. एच. कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संकल्प हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संभावित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार कार्यक्रमों तब तक समस्त दृष्टि से अग्रिम मंडी पर विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 अन्तर्गत द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3030-RADHA KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अन्तर्गत प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2008, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गम शास्त्रादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग कार्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परमेश्वरी कार्यक्रम हेतु ₹0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय कार्यक्रमों (दो वर्षीय परमेश्वरी कार्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शास्त्रादेशों द्वारा निर्गत किये जाने वाले शास्त्रादेशों का भी ध्यान देना और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अपेक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करके हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम नाम	का	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3020	एच० कल्याण कॉलेज ऑफ फार्मेशी, मेडरव्यान सिडि का पुरम, मरदानपुर, कानपुर।	डिप्लोमा इन फार्मेशी	का	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेक्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500

*(Handwritten Signature)*

**आचार्य,**

**शक्ति प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**असम, अरुणचल**

संख्या:- प्राविण्यपरिषद/असम/अरुण/2021/3537

संख्या:- दिनांक: 09/08/2021

**आचार्य जी,**

आश्रित आरतीय नागरिकों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (भारतीय आदर्शित्व उच्च शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा घोषित वर्ष 2021-22 हेतु विनियोजित स्तरीय तालमेली शिक्षण और भाषा को अनुमोदित करना किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, असम सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 05/28/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आगे दिए गए और भाषा को सम्बद्धता पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता प्रवेश शक्तों की अतिरिक्त अन्य भाषा को विचार करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० अ० असम सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु विनियोजित भाषा को अर्थात् पाठ्यक्रम एवं भाषा अतिरिक्त स्तर समाप्त हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौद्धिक नाम : 3030-RADHA KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY,MEHARBAN SINGH KA PURNA,MARBANPUR,KANPUR-203021

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थाओं की संख्या (पीसीआईओ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित वर्षों की संख्या)	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित वर्षों की संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु धर्ती

- ✓ संस्था ए०आई०सी०आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी धर्ती का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियोजिका की 1992, संशोधन विनियोजिका 2015 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके अर्थात् पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,00,000 प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अर्थात् पाठ्यक्रम हेतु रु० 40,00,000 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के अर्थात् पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के अर्थात् पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,00,000 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक अवसर पर ही भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अवसरों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आह्वान द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सख्तनादेश प्रभावी होंगे, और सख्तनादेश कार्यान्वित किये जायेंगे।